


# छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## आम सूचना

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ राज्य के किन्ही भी जिला न्यायालयों में यदि कोई प्रकरण/याचिका/आवेदन या अन्य कोई कार्यवाहियाँ संस्थित की जाती है अथवा संस्थित है, ऐसे किन्ही भी स्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो असंगत प्रतिफल प्राप्ति या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रकरण/याचिका/आवेदन अथवा अन्य कार्यवाहियों को उनके पक्ष में निराकृत/जीत/खारिज कराने के द्वारा निराकृत/सफलता प्राप्त कराने का मिथ्या आश्वासन या प्रलोभन देता है, तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, तो उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

आदेशानुसार

 14.1.25

(कै. विनोद कुजूर)  
रजिस्ट्रार जनरल